को पेश हों।

आज्ञा से

रीडर

07.5.24

पत्रावली मूल वाद के साथ मिसल से तलब होकर पेश हुई। प्रकरण का मूल वाद विड्रो होने तथा हस्तगत प्रकरण के भी प्रार्थीगण द्वारा विड्रो का निवेदन किए जाने से इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अतः प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रिया डाबी)

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

लाल
मूल वाद विड्रो होने से
हस्तगत भी विड्रो करवाते

Signature Not Verified

Digitally signed by Ria Dabi
Date: 2024.05.25 13:53:02 IST
Reason: SelfAttested